P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-8* April- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्वाचित महिला नेतृत्व की स्थिति : एक अध्ययन

Status of Elected Female Leadership In Bundelkhand Region: A Study

Paper Submission: 20/04/2020, Date of Acceptance: 23/04/2020, Date of Publication: 28/04/2020

आशीष कुमार
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
नार्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आलो, अरुणाचल प्रदेश, भारत

शक्ति गुप्ता
प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में बुंदेलखंड भूभाग में स्थित जनपद हमीरपुर में वर्ष 2015 में निर्वाचित ग्राम पंचायतों की 200 महिला ग्राम प्रधानों के राजनीतिक नेतृत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं के चुनाव में प्रतिभाग करने मे आरक्षण की व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया चुनाव के पश्चात उनकी नेतृत्व क्षमता कैसी है इसी का विश्लेषण शोधपत्र में किया गया है।

In the research paper presented, an analytical study of the political leadership of 200 women village heads of village panchayats elected in the yea r 2015 in the district of Bundelkhand, Hamirpur, has done an important role in the provision of reservation in participation of women in panchayats under the Panchayati Raj Act. Remained and participated extensively in the elections after the leadership of women The capacity is what has been analyzed in this paper.

मुख्य शब्द :सचेंतना–जागरूकता ।
Truth Awareness

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। वैदिक काल से लेकर आज तक जैसे –जैसे इन व्यवस्थाओं में में परिवर्तन होता रहा है, महिलाओं की स्थिति भी उसी के अनुसार बदलती रही है। ''अब नारी को न तो मात्र बच्चा जनने की एक मशीन और घर की एक दासी ही माना जाता है। उसने एक नया दर्जा, एक नई सामाजिक महत्ता प्राप्त कर ली है। नारी अर्द्धागिनी, सहगामिनी तथा जीवन साथी व चिरसंगिनी है, यह जीवन रूपी मशीन की वह शक्तिशाली धुरी है, जिसके बिना इसका सुचारूगतया चलना सम्भव नहीं है। नीरा देसाई के इस कथन से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। संतानोत्पत्ति तथा बच्चों के पालन–पोषण की अपेक्षा परिवार का प्रकार्यात्मक सबसे सशक्त एक वह भी पक्ष है, जहाँ संयोजित जीवन के लिये व्यक्ति को अर्थोपार्जन करना पड़ता है, जीने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के महत्व को कौन इन्कार कर सकता है, किन्तु उत्तम जीवन के लिये यही सर्वस्व नहीं है। व्यक्ति की कुछ नैसर्गिक मूल–प्रवृत्तियाँ होती हैं जो उसे क्रियाशील बनाती हैं और जिसकी पूर्ति या सन्तुष्टि के लिये वह आजीवन कर्मशील रहता है। कर्म करना उसका जन्म सहजात स्वभाव है तथापि आनन्द, सौन्दर्य, सत्यता, सुख, शान्ति, सामाजिक, सामूहिक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा राग व अनुराग, संतुष्टि, सुखोपभोग, सामाजिक–समागम, सहमिलन, यश, सम्मान, आदर एवं प्रतिष्ठा, सहयोग व साहचर्य आदि ऐसे मानसिक तत्व हैं जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करते हैं और उसकी मनोवृत्तियों को दिशा प्रदान करते हैं।

पारिवारिक अधिकार

महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में आज अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसे पुरूष किसी समय अपनी दासी मानता था वह ही आज उसकी सहयोगी और मित्र है। आज वह परिवार में एक प्रबंधक की स्थिति

में है न कि याची की। आजकल शिक्षित स्त्री किसी भी दशा में अपने अधिकारों को बलिदान करके, संयुक्त परिवार के द्वारा शोषित नहीं की जा सकती है आज वह इस बात के लिये कदापि तैयार नहीं है कि संयुक्त परिवार में उसका शोषण हो बल्कि वह एक स्वतंत्र एकाकी परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों के पूर्ण उपयोग करने के लिये चेष्टा की है। स्त्री की इच्छा का महत्व बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय के उपयोग, संस्कारों का प्रबंध और पारिवारिक योजनाओं के रूप का निर्धारण करने में निरंतर बढ़ता जा रहा .आज की नई पीढ़ी महिलाओं को उनको पारिवारिक अधिकार देना चाहती है और वे यह नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी कारण वश किसी अधिकार से वंचित रखा जाये अगर उन्हें किसी अधिकार से वंचित रखा गया तो साफ जाहिर है कि वे उसे आने वाले समय में प्राप्त कर लेंगी।

सामाजिक जागरूकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के सामाजिक जीवन में काफी परिवर्तन हुए हैं। आज उसका सामाजिक जीवन स्वतंत्रापूर्व के सामाजिक जीवन से बिल्कुल भिन्न है। आज उन परिवारों में भी स्त्रियाँ खुली हवा में श्वास ले रही हैं जहाँ कुछ वर्ष पूर्व तक महिलाओं को पर्दे में रहना जरूरी था। मध्यकाल की उन रूढ़ियों के प्रति उदासीनता निरंतर तेजी से बढ़ रही है जिन्हें कभी अज्ञानता के वशीभूत होकर आदर्श माना करती थी। हिन्दू महिलाओं द्वारा स्थापित संघों की संख्या तथा उनमें सदस्यों की संख्या निरंतर तीव्र गति से बढ़ रही है। आज स्त्रियाँ इन प्रगति संघों की सदस्य बनने में अपना हित महसूस करती हैं। के.एम. पाणिक्कर के अनुसार ''कुछ मेधावी महिलाओं ने जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है वह भारत के लिये उतनी महत्व की बात नहीं कि जितनी कि यह बात कटटरपंथी एवं पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचारों में भी अब परिवर्तन होने लगे हैं। यहाँ स्त्रियाँ उन सामाजिक बंधनों से बहुत कुछ मुक्त हो चुकी हैं, जिन्होंने उन्हें रूढ़ियों और 'बाबावाक्य–प्रमाण' की विचारधारा के द्वारा जकड़ रखा है।'' भारतीय महिलाओं की स्थिति में होने वाला परिवर्तन निश्चित ही महत्वपूर्ण है।

ये प्रमुख परिवर्तन सभी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलते हैं जहाँ एक ओर इन सभी मुख्य परिवर्तनों से शहरी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है वहाँ दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के जीवन में काफी सुधार हुए हैं, परन्तु वे अभी तक परंपरागत रूढ़ियों के बंधन नहीं तोड़ पाई हैं जिसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। परंतु यह सत्य है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होने से उनके विचारों में भी परिवर्तन आने लगा हैं, महिलाओं में होने वाले इन सुधारों एवं परिवर्तनों को कुछ व्यक्ति आज भी अच्छा नहीं समझते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार मिलने से समाज में अंतर्जातीय विवाह, विवाह–विच्छेद, अनैतिकता एवं शिक्षित लड़कियों के विवाह की समस्या में तेजी से बढ़ोत्तरी होगी। इससे समाज को विघटित हो जाने का डर है। उनकी यह धारणा भ्रमपूर्ण है चूँकि ये सभी परिस्थितियाँ पुरूषों के अहम के विरूद्ध हो सकती है मगर इन परिवर्तनों में स्त्री–जाति के वास्तविक हित निहित हैं। वास्तव में ''आज के समय में महिलाओं द्वारा हिन्दू जीवन के सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण हिन्दू समाज के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के प्रति उनकी जागरूकता धर्म की आड़ में उन्हें समस्त अधिकारों से वंचित कर देने वाले असंतोषजनक आदर्शो के प्रति क्षोभ, शिक्षा से उत्पन्न होने वाली महत्वाकांक्षाएँ और राष्ट्रीय संघ के समय विकसित होने वाले अनुभवों ने उन्हें हिन्दू जीवन के आदर्शो का पुनर्विवेचन करने की प्रेरणा दी है।

भारतीय समाज में सभी कालों में महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं रही है। विभिन्न समय में, समाज के विभिन्न वर्गो एवं स्तरों में महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका में अंतर पाया जाता है।

वर्तमान समय में भी उच्च जाति की महिलाओं की अपेक्षा निम्न जाति की स्त्रियाँ अधिक आत्मनिर्भर और सामाजिक क्षेत्र में बहुत स्वतंत्र दिखायी देती हैं। यह सत्य है कि परंपरागत भारतीय समाज में महिलाओं की मौलिक स्थिति निम्न नहीं कही जा सकती। फिर भी उनको कठोर प्रतिबंधों, नियमों एवं नियंत्रणें के मध्य जीवन व्यतीत करना पड़ता था, सुधार आंदोलनों, उत्तराधिकार अधिनियम, एवं महिलाओं के उत्तराधिकार में पुरूषों के समान अधिकार आदि ने महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति को प्रभावित किया है। यही कारण है कि उनकी परंपरागत सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन आने के कारण उनकी भूमिकाओं में परिवर्तन परिलक्षित होने लगा है। हिन्दू महिलाओं के समक्ष, मूल्यों के कारण एक संघर्षशील स्थिति उत्पन्न हुई है। परिवार में पतियों द्वारा पत्नियों से अनेक भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों को वहन करने की मांग की जाती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक परंपरागत हिन्दू नारी की भूमिका का भी निर्वाह करें एवं एक स्वच्छंद प्रेमिका की भाँति भी रहें। हम देखते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं का जो परंपरागत स्थान और उनके जीवन की जो परिकल्पना रही है, वह औद्योगीकरण और नगरीकरण, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप धूमिल होने लगी है।

वयस्क मताधिकार, महिला आंदोलन, सुसंगठित महिला संगठन, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार काननू, हिन्दू नाबालिग एवं संरक्षण कानून, लोकतंत्र एवं समानता के विचारों ने हिन्दू महिलाओं के धार्मिक आंदोलनों का उनकी सामाजिक प्रस्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त महिलाओं का स्थान बहुत से कार्यो में उनके वंशानुगत स्थान से अलग हो जाता है। यह सत्य है कि शिक्षा, आधुनिक नये विचार एवं बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी स्थिति एवं जीवन को प्रवाहित करती हैं। यही कारण है कि हिन्दू महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक स्थितियों में आशातीत परिवर्तन हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में सुधार और उन्नति के लिये सभी संभव प्रयत्न किये गये हैं। महिलाओं के अधिकार एवं स्तर में उन्नति, शिक्षा में उन्नति, आर्थिक मुक्ति, परिवार और समुदाय में वैधानिक अधिकार, पद–दलित महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्य, संगठन

आदि की दिशा में निरंतर प्रयास के फलस्वरूप महिलाओं की मौलिक स्थिति में परिवर्तन घटित हुआ है। भारतीय संविधान में रोजगार के संबंध में महिलाओं का समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। आज शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, कारखानों, उद्योगों एवं सभी प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियाँ पुरूषों के समान सभी कार्यो को सफलतापूर्वक कर रही हैं। उनकी प्रगति के क्षेत्र खुले हुए हैं।

भारत विश्व का विशालतम प्रजातंत्र प्रणाली वाला देश है। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में उचित रूप में सहभागी प्रजातंत्र के आधारशिला की संज्ञा दी गयी है। जय प्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि ''यह काफी सन्तोष का विषय है कि हमारे देश में पंचायती राज (अथवा प्रथमतः प्रजाातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संज्ञा दी गयी थी) के रूप में सहभागी प्रजातंत्र की आधारशिला रखने की शुरूआत की गयी है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक अन्योन्याश्रित प्रजातंत्र का स्वरूप प्रतिबिम्बित होता है। चूँकि इन सभी संस्थाओं में जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासित होती है। अतः यह माना गया कि इसके आधार से उत्कर्ष तक प्रजातांत्रिक भावनाएँ व्याप्त रहेगी।

भारतीय संविधान में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए एच.डी.मालवीय ने कहा है कि ''भारतीय संविधान में पंचायत के विचार को संलग्र करना अत्यन्त महत्व की घाटना थी । जिसका राज्य की बनावट पर बड़ा सुदूरगामी प्रभाव होने वाला था।''

पंचायती राज की अवधारणा को संविधान में शामिल करने का पूरे देश में स्वागत किया गया।

इस प्रकार इस विधेयक (तिहतरवे संविधान संषोधन अधिनियम 1993) के लागू होने से भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक नये युग का सूत्रपात हुआ है। इस अधिनियम द्वारा निचले स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना तथा ग्रामीण स्वराज के सपने का मार्ग प्रषस्त हो गया है। इस अधिनियम में, जहाँ गाँवों में सत्ता प्रणाली में चली आ रही जड़ता को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारी प्रावधान जोड़े गये हैं वही इसे लचीला भी बनाया गया है ताकि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मामूली फेर बदलकर इसे लागू किया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं में प्रभुता सम्पन्न लोगों का ही वर्चस्व न रहे इसके लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अब यह अधिकार दे दिया गया है कि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें और पंचायत के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित होने के कारण पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप अधिक लोकतांत्रिक और व्यवहारिक बन गया है।

नवीन पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को स्थानीय स्वषासन की स्वतन्त्र इकाई बनाने का प्रयास किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से इन संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की स्वतन्त्र इकाई बनाने का प्रयास किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से इन संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है तथा समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायतों को विभिन्न कर्तव्यों, शक्तियों एवं अधिकारों से युक्त किया गया है। जिसका उद्देश्य सम्पूर्ण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण करते हुए सभी महत्व के कार्यो का निष्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाना है।

राजनीतिक संचेतना से आशय राजनीतिक परिदृश्य के सम्बन्ध में जानकारी से है। राजनीतिक संचेतना का सहभागी अभिविन्यास एवं राजनीतिक दक्षता से गहरा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार राजनीतिक संचेतना को राजनीतिक सामाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। सामाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों को प्राप्त करता है तथा यह उसे समाज के एक प्रभावषाली सदस्य के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है।

राजनीतिक सामाजीकरण वास्तव में राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में सामाजीकरण की प्रक्रिया का परिसीमन है। यह सीख की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों एवं मूल्यों का अन्तरीकरण करता है।

डासन तथा प्रिविट ने इसे वह प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा नागरिक राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होता है। राजनीति संचेतना का स्तर लोकतंन्त्र को सफल संचालन में दूरगामी परिणामों का द्योतक है। यदि प्रतिनिधियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं की जानकारी ठीक होगी तो राजनीतिक मुददों एवं शासकीय कार्यो में उनकी भागीदारी अर्थपूर्ण होगी। इससे राजनीतिक निर्णय लेना सरल होगा।

शैक्षणिक प्रचार–प्रसार, वयस्क मताधिकार तथा पंचायतीराज ने भारतीय ग्रामीण जीवन में सत्ता के पारस्परिक जीवन को लगभग छिन्न भिन्न कर दिया है। अब शक्ति एवं सत्ता के नवीन आधार स्थापित हो गए हैं जो जाति और वर्ण पर आधारित है। पूर्व में पंचायती राज संस्थाओं में उच्च जाति के सदस्यों विशेषकर पुरूष वर्ग एवं जमीदारों का एकाधिकार था किन्तु अब ऐसा नहीं है। इन संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था के कारण दलित वर्ग के साथ–साथ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हुए हैं।स्वतन्त्रता प्राप्ति के पष्चात महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में नवीन आयाम गठित किए हैं। इस क्षेत्र में उस समय और अधिक प्रगति हुई जब अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 के पश्चात् महिलाओं के विकास एवं उत्थान में न केवल राजनीतिज्ञों बल्कि समाज सुधारकों का ध्यान आकृष्ट हुआ। वर्तमान के नारी समाज में राजनैतिक सहभागिता के प्रति विशेष चेतना का उदय होना, स्वाभाविक आर्थिक एवं राजनैतिक चेतना का ग्राफ कम है। जहाँ तक निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता या सहभागिता का प्रश्न है, वहाँ पुरूष वर्ग की तुलना में इनकी स्थिति परितुलन योग्य है, दोनों के मध्य भिन्नताएं परिलक्षित हो रही हैं।

राजनीतिक चेतना

आज राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में जिस प्रकार उन्नति हो रही है और यह जिस तेजी से ऊँची उठ रही है वह एक आश्चर्य का विषय है। जहाँ एक ओर 1937 में 41 सुरक्षित सीटों पर सिर्फ 10 स्त्रियाँ ही चुनाव में आगे आयी थी, जबकि विधानसभा में 1957 में

105 स्त्रियाँ विधानसभा सदस्यों के रूप में निर्वाचित हुई। 1977 में आम चुनाव के पश्चात लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल मिलाकर 42 स्त्रियाँ थी। जब श्रीमती गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, तब सम्पूर्ण विश्व तथा विशेषकर पश्चिम के तथा कथित सभ्य समाजों की स्त्रियाँ अचम्भे में रह गई। उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनकी राजनीतिक जागरूकता अभी बहुत पीछे है। भारत के अनेक राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों का होना आश्यर्च की बात थी। इस संदर्भ में श्री के0एम0 पाणिक्कर का कथन है कि ''जब स्वतंत्रता ने पहली अंगड़ाई ली, तब भारत राजनीतिक जीवन में महिलाओं को जो पद प्राप्त हुआ उसे देखकर बाहरी दुनिया चौंक पड़ी, क्योंकि वह तो भारतीय स्त्रियाँ अषिक्षित पिछड़ी हुई और प्रतिक्रियावादी, सामाजिक व्यवस्था में जकड़ी हुई समझने को अभ्यस्त थीं।'' मध्यकाल की रूढ़ियों को समाप्त करने तथा महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिये अपनी राजनीतिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग किया जो प्रशंसनीय है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व की स्थिति का अध्ययन करना हैं। प्रस्तुत शोध के माध्यम से बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद हमीरपुर की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक नेतृत्व का तार्किक विश्लेषण करना है।

प्रस्तुत शोध आलेख में उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जनपद की वर्ष 2015 में निर्वाचित 200 महिला ग्राम प्रधानों के राजनीतिक नेतृत्व की विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है ।

अध्ययन क्षेत्र

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1858 में ब्रिटिस शासकों ने हमीरपुर जनपद को इलाहाबाद मण्डल से अलग कर झांसी मण्डल से सम्बद्ध कर दिया था। पुनः 1863 में इसे इलाहाबाद मण्डल से सम्बद्ध कर दिया गया। 1911 में पुनः जनपद हमीरपुर को झांसी मण्डल से सम्बद्ध कर दिया गया।

11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जनपद से तीन तहसीलें पृथक कर महोबा जनपद का सृजन किया गया। इसी प्रकार 30 सितम्बर 1997 को झांसी मण्डल को विभाजित कर चित्रकूटधाम मण्डल का सृजन किया गया। चार तहसीलों हमीरपुर, मौदहा, राठ एवं सरीला से युक्त जनपद हमीरपुर वर्तमान में चित्रकूटधाम मण्डल से सम्बद्ध है जिसका मुख्यालय बांदा है। 25.7^0 अंश से 26.0^0 अंश अंक्षाश 79.13^0 पूर्वी तथा 80.21^0 पश्चिमी अक्षांश पर स्थित हमीरपुर जनपद मुख्यालय को बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस जनपद की सीमाएं – जनपद कानपुर, जालौन, महोबा, फतेहपुर, बांदा तथा छतरपुर (मध्यप्रदेश) को छूती है।

तालिका 6.1
जनसंख्यात्मक परिदृश्य– प्रदेश एवं जनपद

जनपद/ प्रदेश	क्षेत्रफल	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला	जनसंख्यात्मक घनत्व	लिंगानुपात
हमीरपुर	4282 वर्ग किमी.	1104021	593576	510445	275	860 प्रति 1000
उत्तर प्रदेश	294411 वर्ग किमी.	199581477	104596415	094985062	828	908 प्रति 1000

स्रोत : जनगणना 2011

तालिका 6.2
साक्षरता दर – प्रदेश एवं जनपद

प्रदेश/ जनपद	साक्षरता दर	पुरूष	महिला
उत्तर प्रदेश	69.72	79.24	59.26
हमीरपुर	76.16	81.27	57.19

स्रोत – जनगणना 2011

तालिका 6.3
तहसील एवं विकास खण्ड़ों का विवरण

जनपद	तहसील	विकास खण्ड	स्थापना वर्ष
हमीरपुर	हमीरपुर	1 कुरारा	02.10.1972
		2. सुमेरपुर	15.08.1956
	मोदहा	1. मौदहा	26.01.1954
		2. मुस्करा	10.10.1959
	सरीला	1. सरीला	01.04.1959
	राठ	1. राठ	01.10.1961
		2. गोहाण्ड	02.10.1972

स्रोत – जिला सांख्यिकी पत्रिका. हमीरपुर

राजनीतिक सक्रियता

राजनीति में आने वाले व्यक्ति इसे अपना स्थायी व्यवसाय बनाने का प्रयास करते हैं। राजनीति में इनका मूल्यांकन अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाकर पुनरावृत्ति की इच्छा रखते हैं। मैटीडोमेन ने अपने अध्ययन में उल्लेख किया है कि नेतृत्व की आवश्यकता विशेषता इसकी असुरक्षा है। व्यवस्थापिका के

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-8* April- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

लिए सदस्य चुनकर आते हैं लेकिन इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि वे कब तक सदन के सदस्य रहेगें।

अध्ययन में महिला प्रधानों से यह जानने का प्रयास किया कि उनके परिवार को कोई सदस्य क्या पूर्व में राजनीति में सक्रिय रहा है?

तालिका 7.1

परिवार की राजनीति में सक्रियता

क्र.	राजनीतिक सक्रियता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	29	14.5
2	नहीं	171	85.5
	योग–	200	100.0

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य जो राजनीति में सक्रिय रहे हैं उनका प्रतिशत 14.5 है। 85.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार को कोई भी सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं रहा है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि महिला प्रधानों के परिवारों की सक्रियता राजनीति में पहले नहीं रही है। इसकी पुष्टि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति महिला सरपंचों के एक अध्ययन से भी होती है।

तालिका 7.2

पूर्व में पंचायत में प्रतिनिधित्व

क्र.	प्रतिनिधित्व	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	13	6.5
2	नहीं	187	93.5
	योग –	200	100.0

तालिका में महिला प्रधानों के परिवार के सदस्यों के पूर्व में पंचायत में प्रतिनिधित्व की स्थिति को दर्षाया गया है। जिन 14.5 प्रतिशत परिवारों की राजनीति में सक्रियता रही हैं उनमें मात्र 6.5 प्रतिशत परिवार के लोग ही पूर्व में पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 93.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के परिवार से कोई भी व्यक्ति पूर्व में पंचायत का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं किए रहा है। इन परिवारों से प्रथम बार ही किसी सदस्य को पंचायत का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

पंचायत राज व्यवस्था में चुनावों की विशेष भूमिका रही है। राज्य एवं केन्द्र के चुनावों की भॉति ही पंचायतों के चुनाव भी नियमित एवं नियत काल में निष्पक्ष रूप से सम्पादित कराने का दायित्व राज्य सरकारों का है। जिसका दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। पंचायती राज संस्थानों में सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम में होता है। प्रत्येक चुनाव के पूर्व आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है।

आरक्षण प्राप्त अनेक वर्गो विशेषकर महिलाओं में स्वाभाविक उम्मीदवारी की इच्छा या आकांक्षा कम दिखाई देती है। नवीन व्यवस्था में ऐसे प्रतिनिधित्व को अपनी भूमिका का ज्ञान न होना भी उत्साहित न होने के कारणों में से एक है। शोधकर्ता द्वारा महिला प्रधानों से यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्हें चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली ?

तालिका 7.3

चुनाव में भाग लेने की प्रेरणा

क्र.	भाग लेने की प्रेरणा	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं से	23	11.5
2	परिवार के सदस्यों से	42	21.0
3	प्रतिष्ठित व्यक्तियों से	44	22.0
4	ग्रामवासियों से	91	45.5
	योग –	200	100.0

तालिका में उत्तरदात्रियों के चुनाव लड़ने की प्रेरणा प्राप्त होने की स्थिति को दर्शाया गया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 45.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों को ग्रामवासियों से चुनाव लड़ने की प्रेरणा प्राप्त हुई यह प्रतिशतांक सर्वाधिक है। 11.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वयं की प्रेरणा से चुनाव में हिस्सा लिया। परिवार के सदस्यों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्रेरणा मिलने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत क्रमशः 21.0 तथा 22.0 है। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदात्रियों को चुनाव में प्रतिभाग कराने का प्रयास ग्रामवासियों द्वारा अधिक कराया जाता है। इस प्रक्रिया में चुनाव लड़ने वाली महिला के व्यक्तित्व का प्रभाव ग्रामवासियों पर उतना नहीं होता कि उसके पति या परिवार के अन्य सदस्यों का।

तालिका 7.4

प्रशिक्षण का अनुभव

क्रं.	प्रशिक्षण का अनुभव	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	21	10०5
2	नहीं	179	89०5
	योग –	200	100००0

इस सम्बन्ध में महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने की स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है। क्षेत्र की 89.5 प्रतिशत महिलाएं प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती हैं। यदि वे प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती हैं तो प्रशिक्षण लेने कौन जाता है ? इस सम्बन्ध में उत्तरदात्रियों ने बताया कि उनके परिवार के पुरूष प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। इन पुरूषों में उनके पति, देवर, श्वसुर या फिर अन्य कोई सदस्य होता है। मात्र 10.5 प्रतिशत महिलाएं ही स्वयं प्रशिक्षण में भाग लेती है तथा समस्त जानकारी रखती हैं, ये वे महिला प्रतिनिधि हैं जो शैक्षणिक रूप से ठीक हैं तथा उनके परिवारों में पर्दा प्रथा नहीं है।

प्रशिक्षण में भाग लेने जाने वाली महिलाओं के बैठक में न जाने कारणों में शिक्षा की कमी, पर्दा प्रथा तथा पुरूष वर्ग का दबाब उभरकर सामने आए जो शोध की परिकल्पना की पुष्टि करते हैं।

शोधकर्त्ता ने स्वयं बैठकों में उपस्थित रहकर प्रक्रिया को देखा। जिन बैठकों में ब्लाक स्तर के अधिकार भाग लेते हैं वहॉ पर प्रायः उत्तरदात्रियों के परिवार के सदस्य प्रतिभाग करते हैं और अधिकारीगण भी यह प्रयास नहीं करते कि वास्तविक प्रतिनिधि ही प्रतिभाग करें। एक बैठक में शोधकर्त्ता ने पाया कि बैठक जिलाधिकारी द्वारा ली जा रही थी, जिसमें जनपद के निर्वाचित प्रधानों को उपस्थित होना था। जैसे ही बैठक प्रारम्भ हुई जिलाधिकारी जी. श्रीनिवास ने कहा कि बैठक में वही

प्रधान उपस्थित रहेगें जो वास्तविक रूप में चुनकर आए हैं। जिलाधिकारी के यह कहते ही बड़ी संख्या में उन लोगों को बाहर हो जाना पड़ा जो अपने परिवार की महिला प्रधान के स्थान पर बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आए थे। संख्या इतनी कम रह गयी कि उस बैठक को निरस्त करना पड़ा।

तालिका 7.5
निर्णय लेने की स्थिति

क्रं.	निर्णय लेने की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	स्वयं	25	12.5
2	पति/ अन्य के द्वारा	175	87.5
	योग –	200	100.00

तालिका में उत्तरदात्रियों के विभिन्न सन्दर्भो में निर्णय लेने की स्थिति का उल्लेख किया गया है। उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया कि ग्राम विकास तथा ग्राम पंचायत से सम्बन्धित निर्णय स्वयं उनके द्वारा नहीं बल्कि परिवार के पुरूषों द्वारा लिए जाते हैं जिसमें उनके पतियों की भूमिका प्रमुख होती है। ऐसी उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 87.5 है। 12.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया कि ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित निर्णय स्वयं उनके द्वारा लिए जाते हैं तथा उनके निर्णयों में परिवार के पुरूषों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। पति अपना काम करते हैं हम अपना काम कोई किसी के कार्यो में दखल नहीं देता है, ऐसा कहना है बिवांर की प्रधान कान्ती वर्मा का जो स्नातक हैं।

पंचायत प्रतिनिधियों को विभिन्न निर्णयों तथा दस्तावेजों पर प्रायः हस्ताक्षर करने होते हैं। क्षेत्र में महिला प्रधानों में साक्षर प्रतिनिधियों का प्रतिशत अधिक है। निरक्षर प्रतिनिधियों का प्रतिशत 10.3 (20) है। अर्थात् क्षेत्र की निर्वाचित महिला प्रधानों में 180 ऐसी हैं जो स्वयं अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम हैं।

तालिका 7.6
दस्तावेजों में हस्ताक्षर

क्रं.	दस्तावेजों में हस्ताक्षर	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हॉ	25	12.5
2	नहीं	175	87.5
	योग –	200	100.00

तालिका में महिला प्रतिनिधियों के दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने की स्थिति को दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्वीकार किया कि वे दस्तावेजों में स्वयं ही हस्ताक्षर करती हैं जबकि 87.5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के हस्ताक्षर दस्तावेजों में तो होते हैं, किन्तु हस्ताक्षर वे नहीं बल्कि उनके पति करते हैं। शोधार्थी द्वारा यह पूछे जाने पर कि बैंक आदि में किसके हस्ताक्षर होते हैं तो यह माना गया कि वहॉ पर महिला प्रतिनिधि के ही हस्ताक्षर होते हैं या फिर अंगूठे का निशान। तथ्यों से यह पुष्टि होती है कि यदि क्षेत्र की महिला प्रधानों के हस्ताक्षरों का मिलान दस्तावेजों एंव बैंक के दस्तावेजों से कराया जाए तो उनमें भिन्नता होगी, क्योकि प्रायः महिला प्रतिनिधियों के पति उनके काम के हस्ताक्षर विभिन्न स्थानों में करते रहते हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि–

1. ग्रामीण क्षेत्रों की महिला जनप्रतिनिधियों की अशिक्षा या शैक्षणिक स्तर की कमी उनकी राजनीतिक सक्रियता को प्रभावित करती है।
2. ग्रामीण समाजों में पूर्व से चली आ रही पर्दा प्रथा आज भी अपने सशक्त रूप में विद्यमान है। पितृ सत्तात्मक पक्ष अभी भी प्रभावी है। पारिवारिक निर्णयों में पुरूषों का वर्चस्व अभी भी विद्यमान है।
3. अधिकांश महिला जन प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण में भाग न लेना, बैठकों में न जाना, अधिकारियों के सम्बन्ध में अज्ञानता इस बात का प्रमाण है कि वे पर्दा प्रथा के कारण सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाती बल्कि उनके स्थान पर पुरूष ही जाते हैं जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता बाधित होती है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के आधुनिक संसाधनों की पहुॅच तुलनात्मक रूप से उतनी अधिक नहीं है जितनी कस्बों या नगरों में है फिर भी जो भी संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं उनका उपयोग मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के देखने, सुनने या पढ़ने में किए जाते हैं। राजनीतिक गतिविधियों, नवीन समाचारों के प्रति महिला जनप्रतिनिधियों की अरूचि उनकी राजनीतिक सक्रियता को बाधित करती है जैसा कि तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है।
5. क्षेत्र की उच्च शिक्षा प्राप्त महिला जनप्रतिनिधियों तथा सामान्य शिक्षा प्राप्त महिला जनप्रतिनिधियों में राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का उत्साह परिलक्षित होता है किन्तु परिवार के पुरूषों द्वारा उन्हें सक्रिय नहीं होने दिया जाता है।
6. सैद्धान्तिक रूप से यह माना जाता है कि पुरूष और महिला एक समान हैं तथा दोनों का समानना का अधिकार है किन्तु वास्तव में व्यावहारिक पटल पर ऐसा नहीं है आज भी समाज में पुरूष प्रधानता की स्थिति बनी हुई है।
7. ग्रामीण महिला जन प्रतिनिधियें को विकास योजनाओं तथा अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता उनकी राजनीतिक सक्रियता में बाधक है। शोध हेतु प्राप्त किए गए तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि महिला जन प्रतिनिधियों को पंचायत स्तर पर किए जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है, साथ ही एक प्रधान के नाते उनके क्या अधिकार हैं ? इसका भी ज्ञान उन्हें नहीं है। ऐसी स्थिति में एक जन प्रतिनिधि द्वारा अपनी पंचायत के विकास का क्या स्वरूप होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला जन प्रतिनिधियों की आर्थिक स्वतन्त्रता की कमी उनको राजनीतिक सक्रियता में बाधक है। भले ही महिला जन प्रतिनिधि द्वारा स्वयं ही कार्य क्षेत्रों में कार्य करके आय अर्जित की जाती हो, किन्तु उनकी आय में अधिकार उनके पति या फिर परिवार के अन्य किसी पुरूष सदस्य का होता है। जिससे उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो

पाती जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता बाधित होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *नीरा देसाई, वूमन इन मार्डन इंडिया बम्बई बोरा एण्ड को. पब्लिशर्स, प्राइवेट लि. 1957 पृ. 253।*
2. *प्रो. राधाकृष्णन : धर्म और समाज, राज्यपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृ. 191–192.*
3. *जयशंकर प्रसाद : कामायनी, द्वितीय संस्करण, 1989, पृ. 98 लोकभारतीय प्रकाशन, इलाहाबाद।*
4. *जयप्रकाश नारायण, कम्यूनिटेरियन सोसायटी एण्ड पंचायती राज, वाराणसी, इन्द्रप्रस्थ प्रेस, पृ. 73 ।*
5. *एच.डी. मालवीय, विलेज पंचायत इन इण्डिया, इकोनामिक एवं पोलिटिकल रिसर्च डिपार्ट, ए.आई.सी. सी., नई दिल्ली, 1956, पृ. 26 ।*
6. *स्टेसी, बी. पोलिटिकल सोषिलाइजेषन इन वेस्टर्न सोसायटी (1978) न्यू देहली पृ0सं0 2*
7. *सिंह, रवि प्रताप, अनुसूचित जाति के विधान मण्डलीय अभिजन (1989) दिल्ली पृ0सं0 85*
8. *डासन, आर.ई., प्रिविट,के., पोलिटिकल सोषिलाइजेषन (1969), वोस्टर्न पृ0सं0 17*
9. *सिंह, जे.एन., लेजिसलेटिव इलिट इन यू.पी., (1983), वाराणसी, पृ0सं0 91*
10. *1. अब्बा सायूल, वाई.बी. षिड्यूल कॉस्ट इलिट (1978), हैदराबाद, पृ0सं0 99*